

कार्यालय-विज्ञापन विभाग, नगर निगम, वाराणसी।

ई – टेंडर आमंत्रण सूचना

पत्रांक :- 374/विज्ञापन/2022-23

दिनांक :- 28/03/2023

वाराणसी नगर निगम सीमान्तर्गत पूर्व से कायम चयनित स्थानों पर रोड़ डिवाइडर के मध्य 96 अदद यूनिपोल हेतु निविदा वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु निविदा स्वीकृति की दिनांक से (31.03.2024) तक के लिए निगम द्वारा निर्धारित साइट रेंट की वसूली हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किया जाता है, जो अधिकृत वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर निविदा फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

1. निविदा प्रकाशन की तिथि/समय	29.03.2023	14:00 बजे से
2. टेंडरदाताओं को पंजीयन की तिथि/समय	31.03.2023	10:00 बजे से
3. टेंडरदाताओं को पंजीयन की अन्तिम तिथि/समय	05.04.2023	14:00 बजे तक
4. ई-निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	31.03.2023	14:00 बजे से
5. ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	05.04.2023	12:00 बजे तक
6. निविदा खोलने की तिथि/समय	06.04.2023	15:00 बजे से

0/c प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन)
नगर निगम, वाराणसी।

टीपें और आज्ञायें

विज्ञापन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)/नगर आयुक्त महोदय

कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम सीमान्तर्गत निगम(सरकारी) भूमि पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 96 अदद यूनिपोल को विज्ञापन के उद्देश्य से प्रयोग किये जाने के लिए किराये (Premium) पर दिये जाने हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाना है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल 96 अदद यूनिपोलों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिसकी अवधि 31.03.2024 तक होगी।

1. राजघाट से चौकाघाट पानी टंकी तक 01 यूनिपोल
2. कबीरचौरा चिकित्सालय से मैदागिन चौराहा, विश्वेश्वरगंज, हरतीरथ होते हुए पीलीकोठी गोलगड्डा तक 02 यूनिपोल
3. चौकाघाट गाटर पुल से सांस्कृतिक संकुल होते हुए मकबुल आलम रोड पुलिस लाईन चौराहा तक 06 यूनिपोल
4. पुलिस लाईन चौराहा से पहड़ियां फलमण्डी गेट नं० 02 से मवाईया तक 10 यूनिपोल
5. शिवपुर संत अतुलानन्द विद्यालय से गिलट बाजार होते हुए भोजूबीर पूर्वान्चल स्वीट हाउस तक 03 यूनिपोल
6. अन्धरापुल, गाटर पुल से तेलियाबाग मरीमाई मन्दिर होते हुए जगतगंज अमर उजाला ऑफिस, लहुराबीर रामकटोरा एच.डी.एफ.सी. बैंक लहुराबीर मलदहिया तक 07 यूनिपोल
7. लक्सा पी.डी.आर. माल से गिरजाघर होते हुए नई सड़क, बेनिया बाग तिराहा तक 04 यूनिपोल
8. सरदार पटेल मलदहिया चौराहा, फातमान, सिगरा होते हुए बिग बाजार मोड़ तक 05 यूनिपोल
9. सिगरा चौराहे से रथयात्रा होते हुए महमूरगंज उषा गुप्ता मोड़ तक 04 यूनिपोल
10. सुन्दरपुर, अंगिया जोगियाबीर बाबा मन्दिर से होते हुए नरिया मोड़ तक 06 यूनिपोल
11. बी.एच.यू. गेट से रविदास गेट होते हुए अस्सी रामेश्वर पुल पेट्रोल पम्प तक 06 यूनिपोल
12. अलकनन्दा हॉस्पिटल से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा होते हुए भेलूपुर आई.पी. विजया माल तक 05 यूनिपोल
13. भारत माता मन्दिर चन्दुआ सट्टी, बौलिया तिराहा तक 03 यूनिपोल
14. बौलिया से चाँदपुर तक 07 यूनिपोल
15. लहरतारा चौराहा से मण्डुवाडीह की ओर 06 यूनिपोल
16. भिखारीपुर से चितईपुर होते हुए ज्ञानदीप स्कूल तक 08 यूनिपोल
17. ड्रीमलैण्ड मैरिज लॉन बरईपुर से डा० अमर अनुपम डेन्टल हॉस्पिटल तक 06 यूनिपोल
18. शिवपुर अतुलानन्द से रेलवे स्टेशन मोड़ तक 07 यूनिपोल है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृति की दिनांक से 31.03.2024 तक के लिए नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त 96 अदद यूनिपोल जिसमें एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 100 मीटर से ऊपर है, की सूची तथा टेण्डर आवंटन हेतु नियम/शर्तें निम्नवत हैं :-

यूनिपोल की सूची

क्र० सं०	संख्या/बंज का नाम	आवण्टित स्थान का नाम	लाइसेंस नम्बर	साइज	सं	श्रे०
1.	राजघाट से चौकाघाट पानी टंकी तक	भदऊं चुगी पेट्रोल पम्प के सामने मध्य डिवाइडर पर	A/UP/001/23-24	20x10 (Both side)	1	A
2.	कबीरचौरा चिकित्सालय से मैदागिन चौराहा,	विश्वेश्वरगंज त्रिमुहानी	K/UP/002/23-24	20x10 (Both side)	2	A
3.	विश्वेश्वरगंज, हरतीरथ होते	हरतीरथ चौराहा यमुना टॉकीज के	K/UP/003/23-24			

	हुए पीलीकोठी गोलगड्डा तक हरतीरथ होते हुए पीलीकोठी गोलगड्डा तक।	पास				
4.	चौकाघाट गाटर पुल से सांस्कृतिक संकुल होते हुए मकबूल आलम रोड पुलिस लाइन चौराहा तक	चौकाघाट पुल से हुकुलगंज मार्ग पर बने डिवाइडर पर	V/UP/004/23-24	20x10 (Both side)	6	A
5.		सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट के पास देव नारायण कालोनी मोड़ के सामने बने मध्य डिवाइडर पर	V/UP/005/23-24			
6.		मकबूल आलम रोड जिला कारागार के पास इंडियन आयल पेट्रोल पम्प के सामने बने	V/UP/006/23-24			
7.		मकबूल आलम रोड जिला कारागार के आगे रजा कालोनी मोड़ के सामने बने डिवाइडर पर	V/UP/007/23-24			
8.		मकबूल आलम रायल इनफिल्ड शोरूम के सामने बने डिवाइडर	V/UP/008/23-24			
9.		पुलिस लाइन चौराहा से मकबूल आलम रोड जाते समय पहले डिवाइडर के अन्त पर।	V/UP/009/23-24			
10.	पुलिस लाइन चौराहा से पहड़ियां फलमण्डी गेट नं0 02 से मवईया तक	पुलिस लाइन चौराहा से पुलिस लाइन जाते समय पहले डिवाइडर	V/UP/010/23-24	20x10 (Both side)	10	B
11.		पुलिस लाइन चौराहा से पुलिस लाइन जाते समय दूसरे डिवाइडर पर	V/UP/011/23-24			
12.		पाण्डेयपुर से पहड़िया जाने वाले मार्ग पर यमहा शोरूम के सामने बने डिवाइडर पर	V/UP/012/23-24			
13.		पाण्डेयपुर से पहड़िया जाने वाले मार्ग पर फनिर्शिग शोरूम के सामने बने डिवाइडर पर	V/UP/013/23-24			
14.		पाण्डेयपुर से पहड़िया जाने वाले मार्ग मौर्य बिहार लॉन के आगे बने मध्य डिवाइडर पर	V/UP/014/23-24			
15.		पहड़िया गेट नं0 02 के सामने बने डिवाइडर पर।	V/UP/015/23-24			
16.		पहड़िया हीरो शोरूम के सामने बने मध्य डिवाइडर पर	V/UP/016/23-24			
17.		पहड़िया चौराहे से आशापुर की ओर श्रीनगर कालोनी मोड़ के सामने बने मध्य डिवाइडर पर।	V/UP/017/23-24			
18.		पहड़िया सुरभि होटल के आगे पेट्रोल पम्प के सामने बने मध्य डिवाइडर पर	V/UP/018/23-24			
19.		मवईया (पुराना आर0टी0ओ0 ऑफिस) सोनावाल ज्वेलर्स शॉप के सामने बने	V/UP/019/23-24			

		मध्य डिवाइडर पर				
20.	शिवपुर संत अतुलानन्द विद्यालय से गिलट बाजार होते हुए भोजुबीर पूर्वान्चल स्वीट हाउस तक	गिलटबाजार सदर तहसील के सामने बने मध्य डिवाइडर पर	V/UP/020/23-24	20x10 (Both side)	3	B
21.		हेवल हॉस्पिटल गिलटबाजार के पास	V/UP/021/23-24			
22.		भोजुबीर पूर्वान्चल स्वीट के सामने	V/UP/022/23-24			
23.	अन्धरापुल, गाटर पुल से तेलियाबाग मरीमाई मन्दिर होते हुए जगतगंज अमर उजाला ऑफिस, लहुराबीर रामकटोरा एच.डी.एफ.सी. बैंक लहुराबीर मलदहिया तक	नदेसर गाटर पुल के पास बने डिवाइडर पर	V/UP/23/23-24	20x10 (Both side)	7	A
24.		तेलियाबाग मरी माई मन्दिर के पास डिवाइडर पर	V/UP/24/23-24			
25.		तेलियाबाग से चौकाघाट के मध्य	V/UP/25/23-24			
26.		तेलियाबाग अमर उजाला कार्यालय के सामने डिवाइडर पर	D/UP/026/23-24			
27.		रामकटोरा टाप इन टाउन शोरूम के सामने मध्य डिवाइडर पर	D/UP/027/23-24			
28.		लहुराबीर से मलदहिया रोड होटल इण्टरनेशन के सामने बने मध्य डिवाइडर पर	D/UP/028/23-24			
29.		मलदहिया चौराहा के पूर्वी छोर पर	D/UP/029/23-24			
30.	लक्सा पी.डी.आर. माल से गिरजाघर होते हुए नई सड़क, बेनिया बाग तिराहा तक	बेनिया तिराहा पर (नई सड़क की ओर) बने डिवाइडर पर	D/UP/030/23-24	20x10 (Both side)	4	A
31.		प्राची सिनेमा (नई सड़क) के सामने बने डिवाइडर पर	D/UP/031/23-24			
32.		गोदौलिया गिरजाघर से लक्सा की ओर कारपोरेशन बैंक के सामने बने डिवाइडर पर	D/UP/032/23-24			
33.		लक्सा मॉल के सामने बने डिवाइडर पर	D/UP/033/23-24			
34.	सरदार पटेल मलदहिया चौराहा, फातमान, सिगरा होते हुए बिग बाजार मोड़ तक	मलदहिया चौराहा के पश्चिमोत्तर कोने पर आईलैण्ड में	D/UP/034/23-24	20x10 (Both side)	5	A
35.		मलदहिया से फातमान जाने वाले मार्ग के पहले डिवाइडर पर	D/UP/035/23-24			
36.		फातमान गेट के बगल में स्थित कब्रिस्तान के सामने बने डिवाइडर	D/UP/036/23-24			
37.		रेड टेप शोरूम के सामने बने डिवाइडर पर	D/UP/037/23-24			
38.		आईपीओमाल से आगे ड्रेस लैंड के सामने बने डिवाइडर पर	D/UP/038/23-24			
39.	सिगरा चौराहे से रथयात्रा होते हुए महमूरगंज उषा गुप्ता मोड़ तक	सिगरा से रथयात्रा भगवान दास कालोनी मोड़ के सामने बने मध्य डिवाइडर पर	D/UP/039/23-24	20x10 (Both side)	4	A
40.		रथयात्रा से महमूरगंज उषा गुप्ता के	D/UP/040/23-24			

		पास			
41.		रेडियों स्टेशन महमूरगंज	D/UP/041/23-24		
42.		तुलसी उद्यान के सामने	D/UP/042/23-24		
43.	सुन्दरपुर, अंगिया जोगियाबीर बाबा मन्दिर से होते हुए नरिया मोड़ तक	नरिया से गांधी नगर मोड़ के मध्य दिशा सूचक के आगं बने डिवाइडर	B/UP/043/23-24	20x10 (Both side)	6 E
44.		गांधी नगर मोड़ के आगे कोशलेश नगर के सामने बने डिवाइडर पर (चौकी की दुकान के पास)	B/UP/044/23-24		
45.		बृज इन्क्लेव से आगे अंगिया जोगियाबीर मंदिर के सामने बने डिवाइडर पर	B/UP/045/23-24		
46.		नरिया तिराहा पर बने डिवाइडर	B/UP/046/23-24		
47.		सुन्दरपुर सब्जी मंडी के सामने बने डिवाइडर पर	B/UP/047/23-24		
48.		नरिया गाँधीनगर मोड़ के मध्य डिवाइडर पर	B/UP/048/23-24		
49.	बी.एच.यू. गेट से रविदास गेट होते हुए अस्सी रामेश्वर पुल पेट्रोल पम्प तक	बी0एच0यू0से लंका चौराहा की ओर बढ़ने पर हैरिटेज हास्पिटल के पहले माधव मार्केट जाने वाले मार्ग के दक्षिणी कोने पर पटरी के	B/UP/049/23-24	20x10 (Both side)	6 A
50.		बी0एच0यू0 गेट से लंका चौराहा की ओर बढ़ने पर शिवम बिल्डिंग के पहले आज बिल्डिंग के सामने बने रोड पटरी के ऊपर	B/UP/050/23-24		
51.		रविन्द्र पुरी रामेश्वरपुल के दक्षिणी छोर पर लंका की ओर उतरते	B/UP/051/23-24		
52.		अलकनंदा से आगे अस्सी पुल (रामेश्वर) उस पार दांयी ओर	B/UP/052/23-24		
53.		अस्सी पुल से आगे बैंक आफ बड़ौदा के सामने बने डिवाइडर पर	B/UP/053/23-24		
54.		सामने घाट के पास डिवाइडर पर	B/UP/054/23-24		
55.	अलकनन्दा हॉस्पिटल से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा होते हुए भेलूपुर आई.पी. विजया माल तक	आई.पी.विजया से कीनाराम के मध्य बने डिवाइडर पर	B/UP/055/23-24	20x10 (Both side)	5 A
56.		कीनाराम मोड़ के पास बने डिवाइडर पर	B/UP/056/23-24		
57.		रविन्द्रपुरी चौराहा श्रीर सागर के सामने बने मध्य डिवाइडर पर	B/UP/057/23-24		
58.		रविन्द्रपुरी चौराहा से गुरुधाम के तरफ बने डिवाइडर पर	B/UP/058/23-24		
59.		चेतमणि चौराहा के मध्य बने डिवाइडर पर	B/UP/059/23-24		

60.	भारत माता मन्दिर चन्दुआ सट्टी, बौलिया तिराहा तक	भारत माता मन्दिर चन्दुआ सट्टी	D/UP/060/23-24	20x10 (Both side)	3	A
61.		लहरतारा पुल के उस पार जिला उद्योग कार्यालय के सामने बने डिवाइडर पर	D/UP/061/23-24			
62.		बौलिया तिराहा के पास बने डिवाइडर पर	D/UP/062/23-24			
63.	बौलिया से चाँदपुर तक	गोयनका फोर्स (चार पहिया वाहन) रोड के किनारे (कैन्टीलीवर)	D/UP/063/23-24	20x10 (Both side)	7	A
64.		आई0सी0आई0सी0 बैंक के सामने महेशपुर डिवाइडर पर	D/UP/064/23-24			
65.		चाँदपुर इण्डस्ट्रियल अमर उजाला मोड़ के सामने	D/UP/065/23-24			
66.		कपिल रोड लाइंस चाँदपुर	D/UP/066/23-24			
67.		चाँदपुर चौराहा मड़ौली की ओर डिवाइडर पर	D/UP/067/23-24			
68.		मोढ़ेला तिराहा त्रिभुवन वाटिका के समाने डिवाइडर पर	D/UP/068/23-24			
69.		जी0एस0आर0 फोर्ड के पास	D/UP/069/23-24			
70.	लहरतारा चौराहा से मण्डुवाडीह की ओर	सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा के सामने डिवाइडर पर	D/UP/070/23-24	20x10 (Both side)	6	A
71.		हंस होण्डा/हीरो के सामने डिवाइडर पर	D/UP/071/23-24			
72.		हुण्डई शौरूम के पास डिवाइडर पर	D/UP/072/23-24			
73.		हुण्डई शौरूम के पास डिवाइडरपर	D/UP/073/23-24			
74.		विशाल मेगा मार्ट के पास डिवाइडर पर	D/UP/074/23-24			
75.		बाबा विश्वनाथ आयरन स्टोर्स के सामने डिवाइडर पर	D/UP/075/23-24			
76.	भिखारीपुर से चितईपुर होते हुए ज्ञानदीप स्कूल तक	एपेक्स हॉस्पिटल के सामने डिवाइडर पर	B/UP/076/23-24	20x10 (Both side)	8	A
77.		काशी हॉस्पिटल के सामने डिवाइडर पर	B/UP/077/23-24			
78.		पटेल आयरन स्टोर्स के सामने डिवाइडर पर	B/UP/078/23-24			
79.		पेट्रोल पम्प के बगल में इण्डियन ओवरसीज बैंक के सामने डिवाइडर पर	B/UP/079/23-24			
80.		सिटी मेगा मार्ट के सामने डिवाइडर पर	B/UP/080/23-24			
81.		वी-2 चितईपुर के सामने डिवाइडर पर	B/UP/081/23-24			

82.		चितईपुर चौराहा स्वामी स्वीट के पास	B/UP/082/23-24			
83.		ज्ञानदीप स्कूल से पहले मीरा मेडिकल के सामने डिवाइडर पर	B/UP/083/23-24			
84.		ड्रीमलैण्ड मैरिज लॉन के सामने डिवाइडर पर बरईपुर	B/UP/084/23-24			
85.		चौरा माता मन्दिर के पास डिवाइडर पर	B/UP/085/23-24			
86.	ड्रीमलैण्ड मैरिज लॉन बरईपुर से डा0 अमर अनुपम डेन्टल हॉस्पिटल	वर्सोवा/मैट्रो हॉस्पिटल के बीच में डिवाइडर पर	B/UP/086/23-24	20x10 (Both side)	6	A
87.		यामहा/टी0वी0एस0 शोरूम के बीच में डिवाइडर पर	B/UP/087/23-24			
88.		राज बजाज के सामने डिवाइडर पर	B/UP/088/23-24			
89.		डा0 अमर अनुपम डेन्टल हॉस्पिटल के सामने डिवाइडर पर	B/UP/089/23-24			
90.		गिलट बाजार सुमन वाटिका के पास डिवाइडर पर	V/UP/090/23-24			
91.		शिवपुर पुरानीचुंगी शौचालय के पास	V/UP/091/23-24			
92.		लक्ष्मी नारायण मेगा मार्ट के सामने डिवाइडर पर	V/UP/092/23-24			
93.	शिवपुर अतुलानन्द से रेलवे स्टेशन मोड़ तक	संगम हॉस्पिटल मोड़ डिवाइडर पर	V/UP/093/23-24	20x10 (Both side)	7	B
94.		राजकमल ट्रेलर्स के सामने डिवाइडर पर	V/UP/094/23-24			
95.		सोनकर कटरा के सामने डिवाइडर पर	V/UP/095/23-24			
96.		शिवपुर रेलवे स्टेशन मोड़ के पास डिवाइडर पर	V/UP/096/23-24			

नियम/शर्तें

- यहकि नगर निगम के लगे हुये यूनिपोलों के किराये पर दिये जाने हेतु टेण्डर की अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निविदा स्वीकृति की दिनांक 31.03.2024 तक के लिये होगी। टेण्डर मूल्य रू0 1180/(18% GST सहित) नगर निगम के ICICI Bank खाता संख्या - 159201001032 IFSC Code - ICICI0001592 में जमा करनी होगी एवं टेण्डरदाताओं द्वारा EM के रूप में रू0 5,00,000/- (रू0 पाँच लाख मात्र) नगर निगम के ICICI Bank खाता संख्या - 159201001031 IFSC Code - ICICI0001592 में जमा करनी होगी
- सफल निविदादाता को रू0 पाँच लाख का FDR जो नगर आयुक्त के नाम बन्धक हो उपलब्ध कराने पर Online जमा EM वापस कर दी जायेगी। सफल टेण्डरदाता को कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुये द्वितीय टेण्डरदाता (H2) को आमंत्रित किया जायेगा।
- यहकि निगम सम्पत्ति यूनिपोल का प्रति यूनिपोल न्यूनतम किराया रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) प्रतिमाह निर्धारित किया जा रहा है। $(96 \times 10000 = 9,60,000/-)$ $960000 \times 12 = 1,15,20,000/-$ (रू0 एक करोड़ पन्द्रह लाख बीस हजार मात्र) न्यूनतम देय होगा।



4. यहकि जो उक्त यूनिपोल नगर निगम की सम्पति है जिस पर टेण्डरदाता का स्वामित्व अधिकार नहीं होगा किन्तु उसकी संरक्षा तथा रख-रखाव उत्तरदायित्व टेण्डरदाता का होगा तथा विज्ञापन पट्टों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कोई दुर्घटना इत्यादि न होने पायें। दुर्घटना कारित होने पर अथवा किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व टेण्डरदाता/विज्ञापनकर्ता/फर्म की होगी।
5. यहकि टेण्डरदाता को समस्त जानकारी अधिकृत वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।
6. यहकि टेण्डरदाता को जी0एस0टी0 एवं विगत तीन वर्षों का ITR देय होगा। स्वीकृत टेण्डर की समस्त देय धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
7. यहकि यूनिपोल पर किसी भी प्रकार का अश्लील विज्ञापन व प्रतिबन्धित विज्ञापन अथवा ऐसे कम्पनियों इत्यादि के विज्ञापन जिसे नगर निगम द्वारा प्रतिबन्धित किया गया हो का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
8. यहकि टेण्डरदाता को ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन फर्मों/व्यक्तियों को काली सूची में डाला गया है अथवा जिनके ऊपर नगर निगम का बकाया है उन्हें टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। उनके द्वारा डाला गया टेण्डर अवैध होगा।
9. यहकि स्वीकृत टेण्डरदाता निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध अपने खर्च पर अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर सम्पादित करना होगा उसके उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा तथा तभी वह विज्ञापन पट्ट लगाने हेतु अधिकृत होगा अन्यथा अनुबन्ध न होने की दशा में द्वितीय टेण्डरदाता को आवंटित कर दिया जायेगा।
10. यहकि यह टेण्डर मात्र साइट रेंट हेतु हैं। आफर की गयी साइट रेंट की धनराशि के अतिरिक्त GST (वर्तमान में 18%) देय होगा।
11. यहकि टेण्डर में डाली गई उच्चतम धनराशि बेस रेट से अधिक स्वीकार की जायेगी। यदि किन्ही दो या अधिक टेण्डरदाताओं द्वारा सामान धनराशि का ऑफर प्राप्त होने पर निगोशिएशन किया जा सकता है।
12. यहकि नगर निगम विज्ञापन विभाग द्वारा निर्धारित पंजीकरण की धनराशि जमा करने वाले पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी/संस्था ही इस टेण्डर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
13. पंजीकरण हेतु जी0एस0टी0, विगत वर्ष ITR, आधार कार्ड की छायाप्रति व स्थायी/अस्थायी पता के साथ पंजीकरण की धनराशि रूपया 25000/- (रु0 पच्चीस हजार मात्र) देय होगा। जिसे न तो वापस की जायेगी और न ही किसी कर/शुल्क में समायोजित की जायेगी।
14. यहकि टेण्डरदाता का मिनिमम टर्नओवर 03 करोड प्रति वर्ष होना अनिवार्य होगा। (विगत 03 वित्तीय वर्षों का औसत)
15. यहकि किसी प्रकार का भारत सरकार या राज्य सरकार को कोई शुल्क या सेवाकर आदि देय होता है तो उस शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व विज्ञापनकर्ता का होगा।
16. यहकि टेण्डर की उच्चतम धनराशि जो स्वीकार की जायेगी निर्धारित स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करने पर अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पन्न करने के पश्चात कार्यादेश जारी किया जायेगा। परन्तु उ0प्र0 शासन/मा0 न्यायालय/निगम प्रशासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर यदि अतिरिक्त स्टाम्प देय होगा तो टेण्डरदाता को अतिरिक्त धनराशि का स्टाम्प तीन दिन के अन्दर विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त यदि कोई और कर देना होता है तो टेण्डरदाता द्वारा देय होगा।
17. यहकि टेण्डरदाता का नगर निगम अधिनियम/उपनियमों/मा0 न्यायालय/शासनदेशों/निगम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा इस हेतु यदि टेण्डरदाता को क्षति होती है तो उसकी पूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी।



18. यहकि समय-समय पर उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन/निगम प्रशासन द्वारा जनहित में किसी प्रकार के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन पट्ट को अल्प समय हेतु अधिग्रहण कर सकती है। जिसकी कोई भी क्षति पूर्ति निगम द्वारा टेण्डरदाता को नहीं दिया जायेगा।
19. यहकि टेण्डरदाता को अपना स्थायी/अस्थायी पता व मोबाइल नम्बर व ई-मेल जिसे पर उससे सम्पर्क किया जा सके देना अनिवार्य होगा व इसके परिवर्तन की दशा में उसे तत्काल विभाग को सूचित करना होगा। टेण्डरदाता को मोबाइल पर दी गयी सूचना वैध व मान्य होगी तथा मोबाइल या ई-मेल पर दी गयी सूचना नोटिस की भाँति ही समझी जायेगी।
20. यहकि नगर आयुक्त में यह अधिकार निहित होगा कि वे किसी भी समय दी गयी स्वीकृति को निरस्त कर सकते हैं ताकि विज्ञापनदाता को तीन दिन के अन्दर अपना समस्त विज्ञापन पट्ट हटाना होगा अन्यथा नगर निगम को उसे हटाने का अधिकार होगा।
21. यहकि टेण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी के पास सुरक्षित रहेगा। नगर आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के व बिना कारण बताये किसी भी समय टेण्डर को निरस्त किया जा सकता है।
22. यहकि किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
23. यहकि दिये गये संलग्नक को निविदा प्रारूप के साथ अपलोड कराना अनिवार्य होगा।
24. यहकि टेण्डरदाता द्वारा शर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
25. यहकि विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र वाराणसी होगा।
26. यहकि यूनियोपल पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए टेण्डरदाता को विज्ञापन विभाग नगर निगम, वाराणसी से पृथक सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात ही यूनियोपल पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार नियम शर्तों एवं प्रतिबंधों तथा समस्त यूनियोपल का वित्तीय वर्ष 2023-24 में निविदा स्वीकृति के दिनांक से 31.03.2024 हेतु टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न कराए जाने हेतु सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने एवं निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु नगर आयुक्त महोदय की सेवा में अग्रसारित करने का कष्ट करें।

विज्ञापन लिपिक
18/03/2023

विज्ञापन अधिकारी

प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)

वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)
18/03/2023

लेखाधिकारी
सदस्य
Manoj Tripathi

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
सदस्य

अपर नगर आयुक्त
अध्यक्ष

नगर आयुक्त
18/03/2023

0.0
28/03/2023